पत्रांक-एम. 4-53/2007-96 वि.(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक-03.01.2008

संकल्प

विषय : योजना एवं गैर-योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मंत्रिमंडल विभाग की अधिसूचना संख्या-602 दिनांक 20.03.07 द्वारा वित्तीय मामलों में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। इसके अनुसार गैर योजना मद में 5.00 करोड़ रुपये तक लागत वाली एवं योजना मद में 10.00 करोड़ रुपये तक लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा दी जा सकती है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा, गैर योजना मद में प्रत्यायोजन के फलस्वरूप विभागों में गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति तथा योजना मद में पूर्व में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5685 दिनांक 08.10.05 द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्योयोजन के संबंध में उक्त तिथि के बाद किये गये संशोधनों को समेकित करने के लिये नया आदेश निर्गत करने की आवश्यकता को देखते हुए गैर योजना एवं योजना मद में चालू एवं नयी योजना में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु निम्नांकित व्यवस्था लागू होगी :-

3. **समीक्षा समितियाँ (Appraisal Committees) :**

(क) विभागीय स्थायी वित्त समिति :-

विभाग में योजना एवं गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) रहेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

(क) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	अध्यक्ष
(ख) आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(ग) योजना संबंधी प्रशाखा के संयुक्त सचिव/उप सचिव	सदस्य

प्रधान सचिव/सचिव यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

(ख) योजना प्राधिकृत समिति :-

योजना मद की स्कीमों की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में योजना प्राधिकृत समिति वर्तमान की तरह निम्न प्रकार रहेगी :-

(क) विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव, वित्त/अपर वित्त आयुक्त	सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सयिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य सचिव
(घ) संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	सदस्य
(च) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

(ग) गैर–योजना व्यय समिति :–

गैर–योजना मद में स्कीमों की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव वित्त आयोग की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति होगी :–

(क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
(ख) अपर वित्त आयुक्त	सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
(घ) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	सदस्य
(च) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

(घ) प्रशासी पदवर्ग समिति :–

गैर योजना मद में पद सृजन एवं वाहनों के क्रय संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा के लिए मुख्य सिचव की अध्यक्षता में वर्तमान की तरह निम्न समिति होगी :–

(क) मुख्य सचिव	(अध्यक्ष
(ख विकास आयुक्त	सदस्य
(ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(घ) अपर वित्त आयुक्त	सदस्य सचिव
(ङ) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधान विभाग	सदस्य
(च) प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव	सदस्य

4. **समीक्षा एवं स्वीकृति की शक्तियाँ :–**

(क) योजना मद में नई स्कीम :

क्र.सं.	**स्कीम की लागत**	**समीक्षा प्राधिकार**	**स्वीकृति**
1.	2.5 करोड़ तक*	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2.	2.5 करोड़ से 10.00 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3.	10.00 करोड़ से 20.00 करोड़ तक*	विभागी स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री

4.	20.00 करोड़ से अधिक*	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्
5.	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठान के संबंध में।	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्

(ख) गैर योजना मद में नई स्कीम :-

क्र.सं.	**स्कीम की लागत**	**समीक्षा प्राधिकार**	**स्वीकृति प्राधिकार**
1.	1.00 करोड़ तक*	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2.	1.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3.	5.00 करोड़ से अधिक*	गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्
4.	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठान के संबंध में।	गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्

* यदि स्कीम में किसी नये पद के समान या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो, तो ऐसा प्रस्ताव योजना मद के मामले में प्राधिकृत समिति एवं गैर योजना मद के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी।

(ग) निवेश पूर्व कार्य आदि (Pre-Investment activity) पर व्यय :-

योजना एवं गैर योजना मद में विस्तृत संभाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी जैसे निवेश पूर्व कार्यों के लिए प्रत्यायोजन निम्न प्रकार होगा :-

क्र.सं.	**स्कीम की लागत**	**समीक्षा प्राधिकार**	**स्वीकृति प्राधिकार**
1.	20 लाख रुपये तक की लागत पर विस्तृत संभाव्यता/परियोजना की तैयारी एवं निवेश पूर्व कार्यों के लिए (निवेश पूर्व कार्यों में प्रतिवेदन हेतु विस्तृत अध्ययन शामिल होगा। लेकिन भूमि अधिग्रहण/अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल नहीं होगी।))।	विभागीय सचिव	विभागीय मंत्री
2.	शेष मामलों में	**योजना**-कीम योजना प्राधिकृत समिति गैर योजना **स्कीम**-गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्

5. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति :-

(i) स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों, विनिमय दरों तथा मूल्य दरों में वृद्धि के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि का अनुमोदन प्रशासी विभाग विभागीय मंत्री की स्वीकृति से कर सकेंगे।

(ii) 20 करोड़ से कम लागत की योजना स्कीम तथा 5 करोड़ से कम लागत की गैर योजना स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगी :–dकdकdकdकdकdक

क्र.सं.	लागत में वृद्धि	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1.	20% तक	**योजना स्कीम** – योजना एवं विकास विभाग **गैर–योजना स्कीम** – वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
1.	20% से अधिक	**योजना स्कीम** – योजना प्राधिकृत समिति **गैर–योजना स्कीम** – गैर योजना व्यय समिति	मंत्रीपरिषद्

(iii) 20 करोड़ से अधिक लागत की योजना स्कीम तथा 5 करोड़ से अधिक लागत की गैर योजना स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगी :–

क्र. सं.	पुनरीक्षण संख्या	लागत में वृद्धि	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1.	प्रथम पुनरीक्षण	10% तक	योजना स्कीम – योजना एवं विकास विभाग गैर–योजना स्कीम – वित्त विभाग	विभागीय मंत्री विभागीय मंत्री तथा
2. 3.		20% से	योजना–स्कीम – योजना प्राधिकृत समिति गैर–योजना स्कीम – गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्
4.	द्वितीय पुनरीक्षण	5% तक	योजना स्कीम – योजना एवं विकास विभाग गैर–योजना स्कीम – वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
5.	या उससे अधिक	5% से अधिक	योजना स्कीम – योजना प्राधिकृत समिति गैर–योजन स्कीम – गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्

6. योजना एवं गैर योजना मदों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य सम्पोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई स्कीमें :–

(क) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित स्कीम :–** यदि ऐसी स्कीम के राज्यांश के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध उपलब्ध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासी विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा। प्रशासी विभाग योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा। यदि ऐसी योजना स्कीम के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद)/बजट उपबंध उपलब्ध नहीं हो, तो प्रशासी विभाग योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्त कर (योजना मद) एवं बजट में बिहार, आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान करा कर ही राशि विमुक्त करेगा। इसी प्रकार यदि गैर

योजना स्कीम के लिए बजट उपबंध न हो, तो बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान कराकर राशि विमुक्त की जायेगी।

(ख) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित नयी स्कीम :-** नयी स्कीमों के क्रियान्वयन एवं उनके लिए राज्यांश की विमुक्ति संबंधी निर्णय योजना स्कीम के मामले में योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग तथा गैर योजना स्कीम के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लिए जायेंगे।

7. राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमें :-

राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिये योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अन्तर्गत संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) तथा बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्रतिवर्ष योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इसे चालू योजना की श्रेणी में ही मानते हुये बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जा सकती है।

8. जिन मामलों में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम समीक्षा प्राधिकार (प्राधिकृत समिति, गैर योजना व्यय समिति, प्रशासी पदवर्ग समिति) की अनुशंसा के पश्चात् प्रशासी विभाग आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संलेख सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखेगा। परन्तु राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) निर्गत एवं संसूचित करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6974 वि. (2) दिनांक 25.09.07 के अनुसार कार्रवाई की जाय। अन्य स्वीकृति प्राधिकार (विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री) के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासी विभाग स्कीम की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत एवं संसूचित कर सकेगा। राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में यह भी अंकित रहना आवश्यक है कि योजना व्यय में किस शीर्ष/उपशीर्ष से विकलनीय है तथा एक अलग कंडिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि योजना के अनुमोदन के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन किस संचिका के किस पृष्ठ पर किस तिथि को प्राप्त किया गया है। इसी तरह वित्त विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति/डायरी नम्बर/संचिका एवं पृष्ठ संख्या भी अलग कंडिका में स्पष्ट रहे। यदि किसी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में राशि की विमुक्ति की भी स्वीकृति अंकित कीजाती है, तो निधि की उपलब्धता, पुनर्विनियोग/बिहार आकमिस्कता निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी पत्रांक अंकित रहना आवश्यक होगा। प्रशासी योजना मद में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आधार पर कोषागार/उप-कोषागार से निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं, यह वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 वि. (2) दिनांक 5.10.07 द्वारा निर्धारित है। अतः बेहतर होगा कि स्वीकृत्यादेश में ही अंकित कर दिया जाय कि महालेखाकार से प्राधिकारपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

9. उल्लेखनीय है कि जहां योजना उद्व्यय नहीं है अथवा बजट में उपबंध नहीं है, वहां योजना उद्व्यय के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग के लिए वित्त विभाग की अलग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अर्थात् योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तो की जा सकेगी लेकिन राशि की विमुकित योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

10. योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमें उतनी ही ली जाए जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष में व्यय बजट उपबंध /योजना उद्व्यय के अन्तर्गत हो। नई स्कीम लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पुरानी स्कीमें अधूरी नहीं हर जायें और उनके लिए आवश्यकतानुसार राशि कर्णांकित कर दी गई है।

11. SecLAN व्यवस्था लागू हो जाने पर प्रशासी विभाग कंडिका-8 में वर्णित स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ई-मेल पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह./-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम. 4-53/2007-96 वि.(2) पटना, दिनांक 03.01.2008

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)